


जाति प्रामाण-पत्र

पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं प्रार्थी स्वयं के अभवा
 मिसा / मत्ता / मति / भाई के शपथ-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि
 श्री/ श्रीमति / कुमारी मनीषा कुमारी गांव/
 सुखुत्र/ सुपुत्री/ धर्मचत्नी श्री रुपराम तहसील सुमेरपुर, जिला पाली, डिवीजन जोधपुर क्षेत्र राजस्थान
 बमर जवाई छोड़ा तहसील सुमेरपुर, जिला पाली, डिवीजन जोधपुर क्षेत्र राजस्थान
 जाति समुदाय मेघवाल का है, जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित
 जाति/ अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता दी गई है-

- ✓ संविधान (अनुसूचित जाति) के आदेश, 1950 (S.C.)
- > संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) के आदेश, 1950
- > संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- > संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- > (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां) (संशोधन) आदेश, 1951 मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब, अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति - अनुसूचित जन जाति (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किये गये अनुसार।
- > संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- > संविधान (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश, 1950
- > संविधान (दादर तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- > संविधान (पांडेचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- > संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967
- > संविधान (गोआ दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- > संविधान (गोआ दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968
- > संविधान (गोआ दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- > संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जाति आदेश, 1970

श्री/ श्रीमती/ कुमारी मनीषा कुमारी तहसील सुमेरपुर
 और / अभवा उसका परिवार गांव / कस्बा जवाई बाई तहसील सुमेरपुर
 जिला पाली डिवीजन जोधपुर राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।



1966
तहसीलदार सुमेरपुर (पाली)